निर्णय दिनांक 11.12.2019

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट चौमू (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– हिम्मत सिंह

मु.न. 16 / 2020

उनवान

1. श्यामलाल पुत्र भगवान सहाय, उम्र 32 वर्ष, जाति अहीर, निवासी ग्राम गोविन्दगढ हाल निवासी ढाणी सावावाली, ग्राम खेजरोली, तह0 चौमूं जिला जयपुर।

बनाम

1. कजोड़मल पुत्र घीसालाल
2. श्यामलाल पुत्र घीसालाल
3. अशोक पुत्र मालीराम
   समस्त जाति कुमावत, निवासी श्याम धर्म कांटे के सामने, पॉवर हाऊस के आगे, मुख्य हाईवे रोड, गोविन्दगढ, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार तहसील चौमूं जिला जयपुर।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0 एक्ट</u>

निर्णय दिनांकः– 06.02.2020

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी ने निवेदन किया है कि वाके ग्राम गोविन्दगढ, पटवार हल्का गोविन्दगढ, भू0अ0नि0 क्षेत्र गोविन्दगढ तहसील चौमूं जिला जयपुर में भूमि खसरा नम्बर 2150 / 501 रकबा 0.1219 है0 स्थित है। जो सम्पूर्ण की प्रार्थी के नाम से राजस्व रिकार्ड मं दर्ज है। जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी कर रहा है तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 प्रार्थी की भूमि के पडौसी खातेदार काश्तकार है जो आये दिन प्रार्थी की खातेदारी भूमि की सींव डोल में छेडछाड करते रहते है।

प्रार्थी की भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 01.07.2019 को श्रीमान तहसीलदार साहब के आदेश क्रमांक / एल0आर0 / सीमाज्ञान / 2019 / 53–54 दिनांक 24.06.2019 की पालना में पटवार हल्का गोविन्दगढ व पटवारी हल्का मलिकपुरा मय राजस्व रिकार्ड के ग्राम गोविन्दगढ के आराजी खसरा नम्बर 2150 / 501 खातेदार श्यामलाल पुत्र भगवान सहाय, जाति अहीर, निवासी खेजरोली के मौके पर सीमाज्ञान हेतु पहुंचे। मौके पर राजस्व रिकार्ड से जांच करने पर गै0 मुस्तकिल बिन्दु खसरा नम्बर 524 गै0मु0 चाह एवं गै0मु0 चाह 437 के मध्य जरीब चलाकर जांच की गयी। जो मुताबिक नक्शे सही होना पाया गया इसके पश्चात आराजी खसरा नम्बर 524 किस्म गै0मु0 चाह एवं आराजी खसरा नम्बर 437 गै0मु0 चाह के मध्य चलायी गयी जरीब लाईन के मध्य बिन्दु कायम करते हुए खसरा नम्बर 2150 / 501 के मध्य दक्षिण–पश्चिम कोने पर जरीब चलाकर कोना कायम किया गया है। खसरा नम्बर 2150 / 501 के दक्षिणी पश्चिमी कोने से खसरा नम्बर 2150 / 501 के उत्तर पश्चिम कोने पर जरीब चलाकर कोना कायम किया गया जिसका मिलान आराजी खसरा नम्बर 524 किस्म गै0मु0 चाह से मिलान कर उत्तर–पश्चिम कोने को कायम किया एवं खसरा नम्बर 2150 / 501 की सीमा बतायी गयी। मौके पर उपस्थित

Scanned with CamScanner

गो के हस्ताक्षर करवाये गयें। उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि आराजी वाके ग्राम गोविन्दगढ, पटवार हल्का गोविन्दगढ, भू0अ0नि0 क्षेत्र गोविन्दगढ तहसील चौमूं जिला जयपुर में भूमि खसरा 2150/501 रकबा 0.1219 की पत्थरगढी करने के अप्रार्थी संख्या 4 को आदेश फरमानें की कृपा करें।

पत्रावली पेश हुई एंव दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थना पत्र पर पक्षकारों को सुना गया। पत्रावली, दस्तावेजात का अवलोकन किया गय प्रार्थी आवेदित आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का कानूनन हक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार चौमू के आदेश से दिनांक 01.07.2019 को पटवारी हल्का गोविन्दगढ व पटवारी हल्का मलिकपुरा द्वारा करवाया जा चुका है। लिहाजा प्रार्थी का प्रा0पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र बाबत् पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चौमू को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तथा मौके पर फसल न हो तो सीमाज्ञान दिनांक 01.07.2019 के अनुसार उभयपक्षकारों को सूचित करते हुये पत्थरगढी की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
चौमूं (जयपुर)

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2020.03.17 12:55:06 IST
Reason: SelfAttested
Location: